उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–10
संख्या–87 / 1–10–2017–33(57) / 2013
लखनऊ: दिनांक: 13 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के आदेश संख्या–32–7 / 2014– एन0डी0एम0–प्रथम, दिनांक 08.04.2015 द्वारा आपदा से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि व्यय किये जाने हेतु मानक मदों एवं दरों का निर्धारण किया गया है। आपदा प्रबन्धन के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये प्रदेश के समस्त जनपदों के फील्ड स्तर के अधिकारियों / कर्मचारियों को भारत सरकार के नये मानक एवं दरों से अवगत कराये जाने, आपदा राहत मानकों के सम्बन्ध में जन–जागरूकता तथा उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा कराये जाने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों के मध्य वितरण हेतु, शासन एवं विधान मण्डल के सम्बन्धित बैठकों में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों एवं सदस्यगणों को नये मानक एवं दरों से अवगत कराये जाने आदि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये शासनादेश संख्या–53 / 1–10–2016–33(57) / 2013, दिनांक–18.02.2016 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि के नवीनतम मानक एवं दरों की एक लाख पुस्तिका को राज्य आपदा मोचक निधि के अन्तर्गत कैपिसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मद में उपलब्ध बजट से सूचना निदेशालय, उ0प्र0 के माध्यम से छपवाये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2– उक्त के क्रम में निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ को मानक एवं दरों की पुस्तिका का स्पेसीफिकेशन देते हुए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से 01 लाख प्रतियां छपाये जाने का अनुरोध किया गया था। निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि के मानक एवं दरों की 01 लाख प्रतियां सम्बन्धित फर्म द्वारा प्रिन्ट कर उपलब्ध करा दी गयी है। निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के पत्र संख्या–727 / सू0एवं ज0स0वि0(निकासी)–18 / 2004 टीसी, दिनांक–09.12.2016 द्वारा सम्बन्धित फर्म के बिलों को सत्यापित करते हुये भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है। वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या–1705 / रा0आ0का0 / 2017, दिनांक 19.01.2017 द्वारा अतः उक्त पत्र की मय संलग्नक छायाप्रति संलग्न राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से धनराशि रू0 43,12,048 / – का भुगतान हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया गया है।

3– अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य आपदा मोचक निधि के मानक एवं दरों की प्रिंट करायी गयी पुस्तिकाओं के भुगतान हेतु भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.04.2015 के प्रस्तर–12 में दी गयी व्यवस्था (क्षमता निर्माण) के क्रम में **रू0 43,12,048 / – (रूपये तैंतालिस लाख बारह हजार अड़तालिस मात्र)** को राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Scanned by CamScanner

4- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-06-स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

(शिव श्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या–87(1)/1–10–2017–33(57)/2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner